M.S.W. II SEM.

5- HUMAN RIGHTS,SOCIAL JUSTICE AND SOCIAL WORK

UNIT -1I

TOPIC :**CONCEPT OF SOCIAL JUSTICE**

BY

DR.RUPESH KUMAR SINGH

ASSISTANT PROFESSOR

DEPARTMENT OF SOCIAL WORK,

J.S HINDU P.G.COLLEGE AMROHA

सामाजिक न्याय की अवधारणा का अर्थ

- एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय (social justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे 'उत्तम जीवन' की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाएँ। विकसित हों या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट ही होता है। सिद्धांतकारों ने इस प्रत्यय का अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में भी, भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। उदारतावादी मानकीय राजनीतिक सिद्धांत में उदारतावादी-समतावाद से आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई आयाम जुड़ते गये हैं।

CONTINUE

- मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जहां भी अन्याय होता है वहां हमेशा न्याय को खतरा होता है| यह बात केवल वैधानिक न्याय के बारे में ही सही नहीं है क्योंकि एक विवेकपूर्ण समाज से सदैव समावेशी प्रणाली के लिये रंग, नस्ल, वर्ग, जाति जैसी किसी भी प्रकार की सामाजिक बाधा से मुक्त न्याय सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है| ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति अपने न्याय के अधिकार से वंचित न हो सके| किसी को भी न्याय से वंचित रखना न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है बल्कि संविधानिक प्रावधानों के भी खिलाफ़ हैं|

परिचय

- सामाजिक न्याय अवधारणा का अभिप्राय यह है कि नागरिक, नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य विकास के पूर्ण अवसर सुलभ हों । सामाजिक न्याय की धारणा में एक निष्कर्ष यह निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रुप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक न्याय की सिद्धि के लिए माना जाए मात्र साधन के लिए नहीं ।
- सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सुधारु और सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विद्यार्थी तथा कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा क्षमतायुक्त समाज की स्थापना करें ।

continue

- सामाजिक न्याय की अवधारणा ने आधुनिक युग में लोगों में जागृति उत्पन्न करने में प्रभावक भूमिका उत्पर्न्न की है । भारत में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के विचारों में सामाजिक न्याय की मांग पर जोर दिया गया थ । महात्मा गांधी तो सामाज़िक न्याय की स्थापना कै लिए आजीवन संघर्ष करते रहे ।

continue

- इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए गरिमामय ज़िंदगी की माँग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। सैद्धांतिक विमर्श में भी यूटोपियाई समाजवाद से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक न्याय में बहुत सारे आयाम जुड़ते गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में सामाजिक न्याय का संघर्ष बहुत जटिलताओं से घिरा रहा है। अधिकांश मौकों पर इन समाजों में लोगों को सामाजिक न्याय के संघर्ष में बहुत ज़्यादा संरचात्मक हिंसा और कई मौकों पर राज्य की हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए चलने वाले संघर्षों के कारण इन समाजों में बुनियादी बदलाव हुए हैं।

कानून और सामाजिक न्याय

- सामाजिक न्याय और कानून एक गहरा रिश्ता होता है जैसे सभी के लिए समान आगे बढ़ने के अवसर होगें और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार के कानून का निर्माण किया जाए ताकि सभी के आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकें! कई बार कम्पनियां मजदूरों को कम मजदूरी देते है या नहीं भी परन्तु एक कानून का निर्माण किया गया है जिसकें माध्यम से यह व्यवस्था की गई है की सभी को एक न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए और एक निश्चित समय के बाद उस में वृद्धि भी होनी चाहिए! इसीलिए समाज में शोषण को रोकने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कानूनों का सहारा लेने अति आवश्यक हो जाता है! मौलिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनों का निर्माण करना और उनका पालन करना और जो लोग उनका पालन नहीं कर रहें हो उन पर उचित कार्यवाही करना सरकार की ज़िमेदारी बन जाती है

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय

- भारतका संविधान एक ऐसा दस्तावेज है। यह समाज में सामाजिक न्याय एवं समता की व्यवस्था करता है तथा एक प्रगतिशील समाज की नींव रखता है। भारत के संविधान में निहित सामाजिक दर्शन समाज में प्रत्येक वर्ग के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय की बुनियाद रखता है।
- भारत का संविधान हर परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है जिसने न सिर्फ जातिवाद, लैंगिक-असमानता, अस्पृश्यता, बंधुआ मज़दूरी, बेगारी, साम्प्रदायिकता, आदि कई कुरीतियों पर एक साथ प्रहार किया, बल्कि करोड़ों लोगों को एक सामान अधिकार, आत्मसम्मान से जीवन जीने और समाज के हर वर्ग और समुदाय को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया. Liberty (उदारता), equality (समानता) और fraternity (बंधुत्व) के तीन धागों में पिरोकर एक नए राष्ट्र की संरचना करने का संकल्प था भारत का संविधान, जिसने एक नए युग की आधारशिला रखी.

continue

- *हमारे संविधान की उद्देशीयका संविधान का आधारभूत ढांचा है । जिसमें सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक न्याय प्रदान किये जाने की गारंटी प्रदान की गई है । इसके लिए भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार दिये गये हैं । भाग-4 में राज्यों को नीतिनिदेशक तत्व बताये गये है, जो राज्य की नीति का आधारस्तम्भ बताये गये हैं*

continue

- मूल अधिकार सम्बंधी भाग-3 अधिकारों का घोषणा पत्र, मेग्नाकार्टा, बिल आफ राइट्स, आदेश, हैं जिसके संबंध में न्यायधिपति श्री भगवती ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1979 भाग-1 उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका 243 मामले में कहा है कि"इन मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है । उन्हें संविधान में इस आशा और प्रत्याशा के साथ सम्मिलित किया गया था कि एक दिनसही स्वाधीनता का वृक्ष भारत में विकसित होगा । ये उस जाति के अवचेतन मन में अमिट तौर पर अंकित थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिएपूरे 30 वर्षो तक लडाई लडी और संविधान अधिनियमित किया गया तो जिन्होंने मूल अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति पायी । ये मूल अधिकार इस देश की जनता द्वारा वैदिक काल से संजोये गये आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधत्व करते हैं और वे व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करने और ऐसी दशांए बनाने के लिए परिकल्पित हैं जिनमें हर एक मानव अपने व्यक्त्वि का पूर्ण विकास कर सके । वे मानव अधिकारों के आधार भूत ढांचे के आधार पर गारंटी का एक ताना-बाना बुनते है और व्यक्तिगत स्वाधीनता पर इसके विभिन्न आयामों में अतिक्रमण न करने की राज्य पर नकारात्मक बाध्यता अधिरोपित करते हैं।"

continue

- सामाजिक न्याय प्रदान किये जाने के लिए सर्व प्रथम हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लेखित राज्य की नीतिनिदेशक तत्व एक लोकहितकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना के संबध में महत्वपर्ण कदम है । जिसके संबंध में डॉ. अम्बेडकर का कहनी है कि हम कल्याणकारी राज्य के नागरिक है । हमारा कर्तव्य केवल शांति व्यवस्था बनाये रखना और जनता के प्राण की स्वतंत्रता और सम्पत्ति की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि जन साधारण के सुख और समृद्धि की अभिवृद्धि करना है । इसलिए राज्यों को नीति निर्देशक तत्व दिये गये हैं ताकि वे इनका पालन करके जनता के हित के लिए आर्थिक लोक तंत्र की स्थापना कर सकते हैं । अपनी नीतियों के निर्धारण और कानून बनाने में वह इन्हें शामिल कर सकते हैं ।

न्याय के प्रकार क्या है

1. सामाजिक न्याय
2. आर्थिक न्याय
3. राजनीतिक न्याय

मानवाधिकार और सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय और अभिशासन से जुड़ा हर प्रश्न मानव अधिकार का मुद्दा नहीं हैं। अर्थात यह मुमकिन हैं कि किसी देश के लोगों की आय में बहुत भिन्नताए हो , वहाँ शैक्षिक उन्नति के मामलों में उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा सुविधायें न हो या वहाँ कोई राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान न हो , लेकिन इसके बावजूद भी यह संभव हैं कि उस देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो रहा हो। इस बात को तय करने में थोड़ी परेशानी हो सकती हैं कि किस मानक को मानव अधिकारों के रूप मे गिना जाना चाहिए ? और इस बात के लिए भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि मानव अधिकारों की सूची का विस्तार किया जाये और इसमें नए क्षेत्रों को शामिल किया जाये। लेकिन यह भी मुमकिन हैं कि मानव अधिकारों की सूची बहुत लंबी होने के कारण उनका अवमूल्यन हो जाएँ

CONTINUE

- ऐसा लगता हैं कि इस तरह की घटनाएँ बढ़ गयी है लेकिन सच्चाई यह हैं कि इस तरह की मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलें में ख़बरों की रिपोर्टिंग का स्तर सुधरा हैं। हाल तक बंधुआ मजदूरी , महिलाओं को उनके हक़ से वंचित रखना तथा अन्य भेदभावपूर्ण कार्यों को समाज अपना विशेषाधिकार समझता था , यहाँ तक कि धर्म भी उन्हें इसकी अनुमति देता दिखाई पड़ता है। लेकिन अब अंतराष्ट्रीय समझौते के जरिये तथा लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में ऐसी कार्रवाईयों को प्रतिवंधित किया गया हैं , जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो। इसके अलावा जातीय और नस्लीय हिंसा से संबंधित मीडिया रिपोर्टें कुछ ही मिनटों में पूरे विश्व में पहुच जाती हैं , इससे लोगों में तीखी प्रतिक्रिया होती हैं और यह आगे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अंकुश का कार्य करती हैं। लेकिन सवाल यह उठता हैं कि क्या सही में इन बदलावों से मानवाधिकारों के उल्लंघन होने सामाप्त हो गये हैं उत्तर बिल्कुल साफ है , नहीं ! इसके उदाहरण हम भारत में होने वाले जाति और लिंग के आधार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख सकते हैं।

निष्कर्ष

- आज भारत देश आजाद हैं परंतु यहाँ आज भी नारी गुलामी का जीवन जी रही है वह आज भी मूक हैं तथा उसके साथ आज भी पशवत व्यवहार हो रहा हैं। डॉ अम्बेडकर ने नारी अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया , “ हिन्दू कोड बिल ” उनके अथक प्रयासों का ही फल है , हिन्दू कोड बिल को पास कराने की सम्पूर्ण प्रक्रिया उनके संघर्ष की गाथा का वर्णन करती हैं। अम्बेडकर के इस प्रस्ताव की कई नेताओं द्वारा सराहना की गयी तो कई नेताओं द्वारा आलोचना भी हुयी , यहाँ तक कि उन्हें संसद के बाहर विरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उनका मत था कि स्त्रियों के चहुमुखी विकास के लिए हिन्दू कोड बिल समानता के सारे दवार खोलकर उनके सीमाजिक , आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र मे विकास को सुनिश्चित कराएंगी।

End.....

धन्यवाद

अधिक जानकारी के लिए 94566-39869 पर संपर्क करें